न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2021
रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/00002

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

बैंक ऑफ बडौदा
शाखा गढी, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री कान्ती लाल रोत पुत्र श्री महीपाल रोत निवासी गॉव सारनपुर तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी)
2. श्री मोहन लाल रोत पिता श्री नाथू लाल रोत, तबीयाड पडा, सारनपुर तहसील गढी जिला बॉसवाडा (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 09–04–2021

बैंक ऑफ बडौदा शाखा गढी, बॉसवाडा ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्री कान्ती लाल रोत पुत्र श्री महीपाल रोत निवासी गॉव सारनपुर तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी), श्री मोहन लाल रोत पिता श्री नाथू लाल रोत, तबीयाड पडा, सारनपुर तहसील गढी जिला बॉसवाडा (जमानती) के खाते दिनांक 28–06–2019 तक कुल बकाया ऋण राशि 2,19,463.55/– रू. (दो लाख उन्नीस हजार चार सौ तरेसठ रु पचपन पैसा) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में परिसम्पत्ति, ऋण अनुबन्ध करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आरित से रक्षित ऋणी की अचल भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति मौजा सारनपुर के खाता सं. 677 जिसका क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट है जो कि गॉव सारनपुर तहसील गढी जिला बॉसवाडा में स्थित है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारन्टर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत [illegible]–2019 को ऋणी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या [illegible] नहीं की व ऋण राशि [illegible] कार्यवाही। [illegible] करने हेतु वि[illegible] प्रकरण दर्ज रजिस्टर रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण [illegible] नोटिस दिनांक 10.02.2021 को जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे। वि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.07.30 11:16:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

05.03.2021 को न्यायहित में पुनः अप्रार्थीगणो को सूचना पत्र जारी किये किन्तु अप्रार्थीगण आज दिनांक तक अनुपस्थित है। पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है।

दिनांक 09.04.2021 को अप्रार्थीगणो की ओर से जवाब बंद कर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक पक्षीय बहस कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई है, एवं न्यायालय में भी अनुपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत बैंक ऑफ बडौदा शाखा गढी जिला बॉसवाडा (राज.) द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात बैंक ऑफ बडौदा शाखा गढी जिला बॉसवाडा (राज.) को दिलाने के लिए बैंक को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 09–04–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.07.30 11:16:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner